भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4804

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 को दिया जाना है

मुंबई में न्यायिक बुनियादी ढांचा और डिजिटलीकरण

†4804. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

श्री संजय दिना पाटीलः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुंबई में तालुका तथा महानगरीय मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अधिवक्ता कक्षों और डिजिटल सुविधाओं के निर्माण के लिए न्यायिक अवसंरचना संबंधी केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत स्वीकृत तथा वितरित की गई कुल निधियों तथा उनके उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मुंबई में दीवानी तथा संपत्ति से संबंधित मामलों के दीर्घकालिक लंबित रहने की स्थिति को देखते हुए शहर के न्यायालयों में भूमि तथा संपत्ति विवाद अभिलेखों के 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण को प्राप्त करने के लिए सरकार के पास कोई समयबद्ध रोडमैप है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम की पहुँच मुंबई के निम्न-आय, झुग्गी तथा पुनर्विकास से प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त है और यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) मुंबई में कॉमन सर्विस सेंटर्न (सीएससी) के माध्यम से संचालित टेली-लॉ केंद्रों की संख्या कितनी है तथा घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में वहनीय विधिक सहायता तक पहुँच का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों की होती है । तथापि, राज्यों/संघ राज्क्षेत्रों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में

न्यायपालिका के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित स्कीम लागू कर रही है, जिसके अधीन केंद्र और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच निर्धारित निधि साझाकरण पैटर्न के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इस स्कीम में पांच घटक सम्मिलित हैं, अर्थात्: न्यायालय सभागार, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयां, वकील सभागार, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष ।

1993-94 में स्कीम की शुरुआत से अब तक महाराष्ट्र राज्य को कुल 1,127.89 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं । इस राशि में से 728.23 करोड़ रुपये (64.56%) वर्ष 2014-15 के बाद जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य के संबंध में पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी और उपयोग की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	**आवंटित**	**उपयोग किया गया**
2021-22	18.00	18.00
2022-23	100.00	100.00
2023-24	119.53	119.53
2024-25	118.35	118.35
2025-26 (28.02.2026 तक)	28.06	28.06

भूमि और संपत्ति से संबंधित विवादों सहित न्यायालय के अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए ई-कोर्ट परियोजना चरण-III के अधीन 3108 करोड़ पृष्ठों को कवर करते हुए बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण कार्य शुरू किया गया है । वर्तमान में, तीव्रता से पुनर्प्राप्ति, सुरक्षित भंडारण और निर्बाध डिजिटल वर्कफ़्लो सुनिश्चित करने के लिए तारीख 31.01.2026 तक बम्बई उच्च न्यायालय के 9.48 करोड़ पृष्ठों सहित विभिन्न न्यायालयों के 660.36 करोड़ से अधिक पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है ।

(ग) और (घ) : 'न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधानों की डिजाइनिंग' (दिशा) स्कीम के अधीन न्याय बंधु कार्यक्रम का उद्देश्य देश में निःशुल्क कानूनी सेवा वितरण के लिए एक ढांचा स्थापित करके अधिवक्ताओं और कानून के छात्रों के बीच नि:शुल्क संस्कृति को बढ़ावा देना है । इस कार्यक्रम के अधीन, नि:शुल्क अधिवक्ता विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन पात्र लाभार्थियों, कम आय वाले व्यक्तियों सहित, को न्यायालयों में नि:शुल्क विधिक सहायता और प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं । तारीख 28 फरवरी, 2026 तक, न्याय बंधु कार्यक्रम के अधीन कुल 10,263 अधिवक्ता पंजीकृत हैं और देश भर में लाभार्थियों द्वारा 5,330 मामले पंजीकृत किए गए हैं । पिछले दो वर्षों के दौरान, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 (28.02.2026 तक), महाराष्ट्र में लाभार्थियों द्वारा न्याय बंधु कार्यक्रम के अधीन 53 मामले पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें मुंबई के 32 मामले सम्मिलित हैं ।

'न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधानों की डिजाइनिंग' (दिशा) स्कीम के अधीन टेली-लॉ कार्यक्रम नागरिकों को वीडियो/टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं, टेली-लॉ मोबाइल ऐप

और टोल-फ्री नंबर 14454 के माध्यम से मुकदमेबाजी से पूर्व सलाह देने के लिए वकीलों से जोड़ता है । यह नेटवर्क ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम स्तर के उद्यमियों द्वारा संचालित 2,50,000 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से काम करता है, जो देश के 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 777 जिलों (112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों सहित) को कवर करता है । तारीख 28.02.2026 तक, टेली-लॉ के अधीन देश भर में लाभार्थियों को 1.12 करोड़ से अधिक प्री-लिटिगेशन सलाह प्रदान की गई ।

तारीख 28.02.2026 तक महाराष्ट्र में वर्तमान में 27,875 सामान्य सेवा केंद्र टेली-लॉ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनमें मुंबई के 157 सीएससी सम्मिलित हैं । घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में सस्ती प्री-लिटिगेशन सलाह तक पहुंच बढ़ाने के लिए, नियमित जागरूकता कार्यक्रम और आउटरीच गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ताकि अधिक नागरिक टेली-लॉ सेवाओं का लाभ उठा सकें और पैनल वकीलों से समय पर कानूनी सलाह प्राप्त कर सकें ।
